

(3)

पटना समाहरणालय, पटना
(विधि शाखा)

आदेश

सी०डब्लू०जे०सी०सं०-552/2012 (लोक हित याचिका) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2012 को पारित आदेश की अवज्ञा को आधार बनाकर अवमानना वाद सं० 6017/12 प्र० आशुतोष कुमार सिंह बनाम राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। लोक हित याचिका सं० 552/2012 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.04.09 को दिए गए अभ्यावेदन का निष्पादन सभी संबंधित पक्षों को सुनने के उपरान्त विधिनुसार यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया है।

2. प्रसंगित दिनांक 29.04.09 के अभ्यावेदन में समस्या के रूप में वर्णित बिन्दु मुख्यतः भागवत नगर आवासीय कॉलोनी में व्यापारिक गोदाम का निर्माण किए जाने, यातायात के अवरुद्ध रहने, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने, असमाजिक तत्वों के एकत्र रहने तथा लाउडस्पीकर का दुरुपयोग करने इत्यादि से संबंधित हैं।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्राप्त अभ्यावेदन के निष्पादन में सभी पक्षों को सुनने के दृष्टिगत याचिकाकर्ता सहित अन्य संबंधित कृत्यकारियों यथा, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, थानाध्यक्ष, अगमकुआं को अग्रिम सूचना देकर दिनांक 08.04.2013 को एक बैठक आहूत की गई जिसमें विस्तार से अभ्यावेदन के सभी बिन्दुओं एवं कार्रवाई के विकल्पों पर विचार किया गया।

4. याचिकाकर्ता प्र० आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि यद्यपि उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में कई बिन्दुओं पर चर्चा की गई है, परन्तु उनकी मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि भागवत नगर आवासीय कॉलोनी में सुबह 7.00 बजे से लेकर रात्रि 8.00 बजे तक कोई भारी वाहन प्रवेश न करे, ताकि सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। इनकी मुख्य शिकायत यह भी है कि गोदामों के कारण दिन में भी भारी ट्रक सड़क पर ही खड़े रहते हैं जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

5. याचिकाकर्ता से सर्वप्रथम आलोच्य भागवत नगर आवासीय कॉलोनी के नियमितीकरण के संबंध में पृच्छा की गई जिसमें उनके द्वारा बतलाया गया कि याचिका में वर्णित भागवत नगर एवं उनलोगों द्वारा बतलाये जा रहे क्षेत्र में भूमि अर्जन/अधिग्रहण संबंधी कोई विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में वर्णित भागवत नगर आवासीय कॉलोनी के रूप में दर्शाया जा रहा क्षेत्र भू अर्जन से पूरी तरह मुक्त है एवं इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले से कोई संबंध नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के दिनांक 29.04.09 के अभ्यावेदन जिसमें मुख्यतः नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा है, के निष्पादन के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पारित इस आदेश से आलोच्य कॉलोनी के नागरिकों को द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण का यह अर्थ कदापि नहीं माना जाएगा कि बाद में इसे कॉलोनी को नियमित अथवा वैध रूप प्रदान किए जाने का मामला बनेगा। तात्पर्य यह कि इस आदेश का प्रभाव दिनांक 29.04.09 के अभ्यावेदन में उठाए गए नागरिक सुविधाओं एवं अन्य समस्याओं के

निराकरण भर से है और इसका कहीं से भी उक्त आवसीय कॉलोनी की वैधता/अवैधता के समर्थन में साक्ष्य/प्रमाण के रूप में इस आदेश का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

7. दिनांक 29.04.09 के अभ्यावेदन से संबंधित एवं विमर्श में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए यातायात की सभी पहलुओं पर विस्तार से विवेचना की गई। यह तथ्य सामने आया कि सी०डब्लू०जे०सी०सं०-2290/90 अरुण कुमार मुखर्जी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.98 को पारित आदेश के अनुपालन में पटना नगर निगम क्षेत्र में ट्रकों(भारी वाहन) के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध है तथा कतिपय शर्तों के साथ रात्रि 10.30बजे से प्रातः 5.30बजे तक प्रवेश की अनुमति है। प्रसंगित भागवत नगर क्षेत्र में इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित अनुदेश दिए जाते हैं :-

- (क) पूर्व से यथाअनुदेशित, भागवत नगर आवासीय कॉलोनी में भारी ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- (ख) पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ अनुमति प्राप्त ट्रकों का प्रवेश रात्रि 10.30बजे से प्रातः 5.30 बजे के बीच ही हो सकेगा।
- (ग) प्रवेश हेतु निर्धारित अवधि में भी निर्धारित भार वहन क्षमता से अधिक के ट्रकों को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- (घ) जिन ट्रकों का प्रवेश अनुमत है, उनकी पार्किंग भी सड़क पर नहीं की जायेगी बल्कि निजी परिसरों में की जायेगी।
- (ङ) थानाध्यक्ष, अगमकुआं उपर्युक्त आशयों की लिखित सूचना उक्त कॉलोनी में अवस्थित सभी गोदामों के प्रोपराईटर/प्रबंधको को देते हुए अनुपालन का निदेश देंगे।
- (च) अभिनिर्धारित अवधि से इतर अथवा निर्धारित भार वहन क्षमता से अधिक भार वहन के साथ यदि कोई ट्रक पाया जाता है तो उसपर मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत भारी शास्ति के साथ अन्य कड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, यातायात/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम कृत्यकारियों द्वारा की जायेगी। ऐसे मामलों में स्थानीय थाना द्वारा नियमानुकूल सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- (छ) पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अगमकुआं थानाध्यक्ष इस क्षेत्र में नियमित जांच/गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- (ज) याचिकाकर्ता सहित अन्य प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि यदि वे पाते हैं कि उपर दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल किसी भारी वाहन का प्रवेश उक्त आवासीय कॉलोनी में हो गया है तो वे इसकी सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को देंगे। इस आलोक में संबंधित पदाधिकारियों के दूरभाष/मोबाईल नं० भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8. अभ्यावेदन में प्रदूषण, विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत भी की गई है। इस संदर्भ में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद के सदस्य सचिव/प्रतिनिधि को निदेश दिया जाता है कि वे इसकी जांच कर वायु (प्रदूषण निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण विनियम, 2000 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप यथोचित कार्रवाई करेंगे तथा प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

9. आवासीय कॉलोनी में व्यापारिक गोदामों के निर्माण/संचालन के प्रावधानों के संबंध में नगर निगम के पदाधिकारियों से पृच्छा की गई जिसपर उनलोगों द्वारा बतलाया गया कि नगरीय योजना के तहत आवासीय तथा व्यावसायिक प्रक्षेत्र निर्धारित हैं और उस आलोक में आवासीय प्रक्षेत्रों में व्यापारिक गोदामों का निर्माण/संचालन बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित) के प्रावधानों के विपरीत है। स्पष्ट है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित कराने की जिम्मेवारी उक्त अधिनियम द्वारा शक्ति प्रदत्त निकाय के कृत्यकारियों की है। अतएव यह निदेश दिया जाता है कि पटना नगर निगम के सक्षम पदाधिकारी उक्त आवासीय कॉलोनी में अवस्थित गोदामों के मालिकों/प्रबंधकों को उपर्युक्त के संबंध में विधिवत नोटिस देंगे तथा उनके पक्ष को सुनकर विधिनुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे। यह स्पष्ट हो कि जब तक आवासीय प्रक्षेत्रों में इन व्यापारिक गोदामों के निर्माण/संचालन पर रोक का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो जाता है, तबतक उपर कंडिका (7) में यातायात नियंत्रण एवं विनियमन के संबंध में दिए गए निर्देशों को पूरी तत्परता एवं कड़ाई से अनुपालन सभी संबंधित द्वारा किया जायेगा।

10. अतः इस रूप में दिनांक 29.04.09 के अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित को इसकी सूचना तत्काल दे दी जाय।

ह०/-

जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-152/12- 1637 /मु० विधि दिनांक 12-4-13
प्रतिलिपि:- प्र० आशुतोष कुमार सिंह, पे० श्री राम जतन प्रसाद सिंह, सा० जनता नगर
हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसायटी (भागवत नगर), कुम्हारार, थाना-अगमकुआं,
जिला- पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-152/12- 1637 /मु० विधि दिनांक 12/4/13
प्रतिलिपि:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/पुलिस
अधीक्षक, यातायात, पटना/नगर दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना/जिला
परिवहन पदाधिकारी, पटना/अनुगंडल पदाधिकारी, पटना सिटी/सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/थानाध्यक्ष, अगमकुआं को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ETT

जिला दंडाधिकारी,
पटना।